S.N. 10

# दिल्ली विधान सभा
# Delhi Legislative Assembly

## महिला एवं बाल कल्याण समिति
## Committee on Woman and Child Welfare

## प्रथम प्रतिवेदन
## First Report

दिनांक 29 मार्च, 2010 को प्रस्तुत

**Presented on 29 March, 2010**

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली- 110054

**Delhi Legislative Assembly Secretariat, Old Secretariat, Delhi-110054**

## समिति की सदस्यता
## COMPOSITION OF COMMMITTEE
## महिला एवं बाल कल्याण समिति

| | | |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमती बरखा सिंह | चेयर पर्सन |
| 2. | श्री सुरेन्द्र कुमार | सदस्य |
| 3. | श्री जसवंत सिंह राणा | सदस्य |
| 4. | श्री विपिन शर्मा | सदस्य |
| 5. | श्री नीरज बसोया | सदस्य |
| 6. | श्री हसन अहमद | सदस्य |
| 7. | श्री रमेश विधूडी | सदस्य |
| 8. | श्री सतप्रकाश राणा | सदस्य |
| 9. | श्रीकृष्ण त्यागी | सदस्य |

## विधान सभा सचिवालय
## Assembly Secretariat

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री सिद्धार्थ राव | सचिव |
| 2. | श्रीमति शिमला | संयुक्त सचिव (विधायी) |
| 3. | श्री अज़ीजुद्दीन अहमद | उप सचिव |

# प्रस्तावना

मैं, बरखा सिंह, चेयरपर्सन, महिला एवं बाल कल्याण समिति द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित समस्याओं के संबंध में इस समिति का पहला प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करती हूँ।

समिति विधान सभा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा समिति की बैठकों के लिये पृष्ठभौमिक सामग्री उपलब्ध कराने एवं इस प्रतिवेदन को तैयार करने के लिये प्रशंसा करती हैं। समिति की बैठकों में उपस्थित होकर संबंधित जानकरी उपलब्ध कराने के लिये विभागीय अधिकारियों की भी समिति प्रशंसा करती है।

**श्रीमती बरखा सिंह**

चेयर पर्सन
महिला एवं बाल कल्याण समिति

# दिल्ली विधान सभा

## महिला एवं बाल कल्याण समिति

## पहला प्रतिवेदन

समिति की बैठक 26 फरवरी 2010 को सम्पन्न हुई।

सचिव विधान सभा ने समिति के कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी और बताया कि महिला एवं बाल कल्याण समिति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यह समिति दिल्ली में महिला एवं बच्चों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर विचार करके उनका समाधान करती हैं। सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या–क्या योजनाए चलाई जा रही है और क्या–क्या सुविधाएं दी जा रही है इस पर भी समिति विचार करती है।

समिति ने दिल्ली महिला आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया। समिति को बताया गया कि दिल्ली महिला आयोग के प्रतिवेदन में प्रमुखतः सैक्स वर्कस की विभिन्न समस्याओं पर जोर दिया गया है। इस तरह की महिलाओं एवं उनके बच्चों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है जिसका हल निकालना अत्यन्त आवश्यक है।

समिति को बताया गया कि 54 प्रतिशत महिलाएं जो कि सैक्स वर्कर का कार्य करती है उनके बच्चे उनके साथ नही रहते है।समिति को यह भी बताया गया कि ऐसे वर्करों के बच्चे अपनी मॉ से अलग रहते हैं इसलिए उनका लालन–पोषण ढ़ंग से नही हो पाता है और वें कुसंगति के शिकार हो जाते है इसलिए उनकी उचित देख–रेख व शिक्षा आदि की उचित व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है। ऐसे बच्चों के लिए मुफत बोर्डिंगं स्कूल की सुविधा प्रदान की जाए।

1.समिति ने सिफारिश की कि इस के साथ ही घरेलू कामगार महिलाएं जो बिल्डिंग वकर्स होती है अथवा साइट पर कार्य करती है उनके बच्चों के लिए कोई सहुलियत साइट पर नही होती, मजबूरन बच्चे वहीं कहीं मिटट्ी में खेलते रहते हैं या रोते रहते है। कभी कोई दुर्घटना भी हो जाती है भवन निर्माण क्षेत्र में जो महिलायें कार्य करती हैं, वे बहुत गरीब होती है काम पर आये बिना उनका गुजारा नही होता, लिहाजा बीमारी में भी वें अपने बच्चों को लेकर काम पर आती हैं।

अतः समिति सिफारिश करती है कि भवन निर्माण के क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए कानून बनाया जाये कि जहॉ कहीं भी भवन निमार्ण के लिए महिलाओं को लगाया जाये वहॉ पर नियोक्ता के लिए यह अनिवार्य हो कि साइट पर ऐसी महिलाओं के बच्चों के लिए क्रैच की व्यवस्था हो ताकि वे निश्चित होकर अपनी आजिविका का अर्जन कर सकें

और उनके कार्यस्थल के समीप ही उनके बच्चों की भी देखभाल सुनिश्चित हो सकें।

विभागीय प्रतिनिधि ने समिति को सूचित किया कि दिल्ली सरकार ने एक अच्छा नियम बनाया था जिसमें ये प्रावधान है कि ठेकेदार के बिल से एक प्रतिशत की दर पर लेबर सैस लगाकर एक निधि बनायी जाये। तथा इस निधि का प्रयोग श्रमिकों के कल्याण के लिए किया जाना है।

**समिति सिफारिश करती है कि इस निधि का कुछ निश्चित प्रतिशत भवन निर्माण में लगी महिलाओं के बच्चों के लए कैच की सुविधा पर खर्च किया जाये।**

समिति का यह भी मत है कि लेबर इन्सपेक्टर कन्सट्रक्शन साइट पर जाकर देखें कि इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है या नही और जो ठेकेदार इसमें लापरवाही करते पाये जायें उनके लिए कुछ दंड की व्यवस्था हो।

2. समिति को यह भी बताया गया कि निर्माण मजदूरों के लिए दिल्ली सरकार ने एक विशेष फंड की व्यवस्था भी की है जो कि इस तरह कि सुविधायें उपलब्ध कराने के काम में इस्तेमाल किया जा सकता है।

3. समिति ने इस बात पर चिन्ता जाहिर की कि आजकल कामकाजी महिलाओं /लडकियों से छेड़खानी/बलात्कार की घटनाओं में लगातार बृद्धि हो रही है। माल्स/काल सेन्टर्स में महिलाएं देर रात तक काम करती हैं ऐसे में वे असुरक्षित महसूस करती है इसलिए उनकी सुरक्षा के इन्तजाम किया जाना आवश्यक है। वस्तुतः रात या ऑड आवर्स में जब लडकियां काम से लौटती है तो इस तरह के हादसों की संभावना अत्याधिक बढ़ जाती है।

**समिति ने यह भी सिफारिश की कि जहां–जहां भी काल सेंटर्स पर और मॉल्स आदि में जो महिलाएं/लड़कियां काम करती है उनको सुरक्षित लाने लेजाने के लिए बसों आदि की व्यवस्था करना अनिवार्य रूप से नियोक्ता की जिम्मेदारी होनी चाहिए।**

**समिति यह भी सिफारिश करती है कि दिल्ली मेंट्रो में महिलाओं के लिए स्पेशल कोच होना चाहिए क्योंकि सामान्य कोच में भीड–भाड होने की वजह से छेडखानी की संभावना अधिक होती है।**

समिति ने चिन्ता जाहिर की कि राजधानी में वर्किंग वीमेन होस्टलस की अत्यधिक कमी है जबकि काम काजी महिलाओं की संख्या में बढोतरी हुई है। जिसके कारण कामकाजी महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में उत्तर पूर्वीय राज्यों की लडकियॉ काम करती है। हास्टल में जगह न मिलने की वजह से उन्हें इधर–उधर पेईगं

गैस्ट के रूप में रहना पडता है। जहॉ वे असुरक्षित महसूस करती है और कुछ हादसे भी हो जाते है। समिति का यह मत है कि राजधानी में मांग के अनुरूप वर्किंग वीमेन होस्टलस की व्यवस्था की जानी चाहिए। विभागीय अधिकारी ने समिति को जानकारी दी कि मॉग और उपलब्धता के बीच करीब तीन साढ़े तीन हजार यूनिट्स का अन्तराल है, न केवल इस अन्तराल को पाटा जाना चाहिए बल्कि भविष्य की मॉग का भी अनुमान लगाकर उसको पूरा करने के लिए हास्टलस का निर्माण किया जाना चाहिए।

4. **समिति सिफारिश करती है कि इस प्रयोजन के लिए डी.डी.ए. विभाग को जमीन उपलब्ध करायें। इसकें अलावा जिस जिस डिपार्टमेंन्ट की बिल्डिंग्स खाली पड़ी है, उनकी मरम्मत कराकर वर्किंग वुमैन्स हास्टलस में कन्वर्ट कराया जाये।**

5. समिति ने यह भी चिन्ता जाहिर की कि राजधानी में हर चौराहें पर भीख मांगने वाले बच्चों की तादाद दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे बच्चों के लिए भी कल्याणकारी योजनाएं बनाई जानी चाहिए। उनके लिए बाल सुधार गृह बनाने के साथ–साथ उनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी की जानी चाहिए एवं उनके लिए व्यवसायिक शिक्षा का प्रबन्ध भी किया जाना चाहिए।

समिति को बताया गया कि इस तरह के बच्चों के लिए अधिक से अधिक बालगृह बनाने के बारे में विचार किया जा रहा हैं। इसके अलावा विभाग फोस्टर सिस्टम भी बनाने पर विचार कर रहा है।

6. समिति यह भी सिफारिश करती है कि सैक्स के प्रोफेशन पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए और इसके बदले उन्हें किसी अन्य व्यवसाय में लगाया जाए। इसके लिए पुनर्वास निधि अथवा विकास निधि की व्यवस्था की जाए। इसी तरह से बलात्कार की शिकार महिलाओं/लडकियों व बच्चों के लिए भी विशेष फंड की व्यवस्था की जानी चाहिए और उनके लिए रहने की एवं रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। तथा इनके बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल की व्यवस्था की जानी चाहिए।

7. समिति को बताया गया कि सैक्स वर्कर के बच्चों के लिए विलेज कॉटेज होम के नाम से दिल्ली मे ˙ तीन संस्थाएं चल रही हैं जिनमें बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा दी जाती है तथा इनके रोजगार और विवाह आदि की भी व्यवस्था की जाती है।

समिति ने सिफारिश की कि केवल सैक्स वर्कर के बच्चों के लिए ही नही अपितु सभी गरीब वर्ग के बच्चों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

समिति ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि दिल्ली महिला आयोग के प्रतिवेदन में की गयी सभी सिफारिशों एवं समिति द्वारा दिये गये सभी सुझावों पर तुरन्त प्रभाव से अमल किया जाएं।

बरखा

**श्रीमती बरखा सिंह**
चेयर पर्सन
महिला एवं बाल कल्याण समिति